अग्रिम – Advance

(भारतीय रेलवे स्थापना मेन्युअल भाग–I का पैरा–1101 से 1130)

रेलवे कर्मचारी भारत के समेकित निधि (Consolidated fund) और भविष्य निधि से विभिन्न प्रकार के अग्रिम और निकासियों के हकदार है । कुछ अग्रिम ब्याज रहित है , जबकि अन्य अग्रिमों पर ब्याज लिया जाता है । वे उद्धेश्य जिनके लिए अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते है :– (Para 1102 IREM-I)

i वाहन खरीद हेतु ।
ii व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीद हेतु ।
iii मकान / फ्लेट इत्यादि के निर्माण / खरीद हेतु ।
iv गर्म कपडो की खरीद हेतु ।
v स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम ।
vi यात्रा/स्थानान्तरण / सेवानिवृति पर यात्रा भत्ता अग्रिम ।
vii प्रति नियुक्ति विदेश जाने / भारत लौटने पर ।
viii छुट्टी वेतन के रूप में ।
ix प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि से हुए नुकासान से निपटने हेतु अग्रिम ।

ऊपर उल्लेखित मदों (i) से (iii) ब्याज लिया जायेगा।

(1) वाहन खरीद : (पेरा 1104)

मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृति की सामान्य शर्ते निम्न है :–

1 वह विभागाध्यक्ष जिसके अधीन रेल कर्मचारी समय विशेष के लिए नियुक्त है , वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है । यह अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब अग्रिम स्वीकृत करने वाला अधिकारी कर्मचारी की पुनर्भुगतान क्षमता से संतुष्ट हो ।

2 किसी ऐसे रेल कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसने पहले ही वाहन खरीद कर उसके लिए भुगतान कर दिया हो, बशर्तें है कि वाहन की खरीद, अग्रिम के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर की गई हो और अस्थाई ऋण लेकर उसका भुगतान किया गया हो ।

3 ब्याजः सरकार द्वारा समय–समय पर तय की गयी साधारण ब्याज दरें रेल कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम पर प्रभावी होगी।

4 योग्यता शर्तेः रेल कर्मचारी को मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्तेः

   i जिन रेल कर्मचारियों का वेतन 19530/– या अधिक प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा हो, उन्हे मोटरकार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। (RBE 42/2009)

   ii जिन कर्मचारियेां का वेतन 8560/ या अधिक प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा हो ,उन्हे मोटर साईकिल/स्कूटर की खरीद हेतु अग्रिम किया जायेगा । हालांकि अग्रिम स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, योग्य मामलों में इस शर्त में छुट दे सकता है। (RBE 42/2009)

   iii मोपेड हेतु अग्रिम उन रेल कर्मचारियों को स्वीकृत किया जोयगा, जिनका वेतन 8560/ से कम प्रतिमाह Pay Band में Grade Pay के अलावा है। (RBE 42/2009)

नोटः मोटर साईकिल/ स्कूटर / मोपेड की खरीद पर वार्षिक ब्याज पर 8% होगी जो 01.04.2008 से प्रभावी है । (RB Letter No- 2008-B-306 of 23-04-09&07-07-11 (NWRPS 44/11)

मोटर कार की खरीद : (Para 1105)

अग्रिम की राशि : रेल कर्मचारी को प्रथम अवसर पर मोटर कार की खरीद हेतु स्वीकृत किय जाने वाले अग्रिम की कुल 1,80,000/. रू. एक लाख अस्सी हजार, या (Grade Pay के अलावा Band Pay में 08 माह का वेतन या रेल कर्मचारी द्वारा खरीदी जाने वाली मोटर कार की संभावित कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं ोगी। यदि रेल कर्मचारी द्वारा खरीदी जाने वाली मोटर कार की कीमत अग्रिम राशि से कम है तो वह तत्काल शेष राशि का भुगतान सरकार को करेगा।

दूसरी बार या इसके पश्चात मोटर कार की खरीद हेतु स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि 1,60,000/– रू. (एक लाख साठ हजार) या ग्रेड पे के अलावा Pay Band में 08 माह का वेतन या खरीदी जाने वाली मोटर कार की संभावित कीमत, जो भी कम हो,दिया जायेगा। (RBE 228/04)

मोटर कार की खरीद हेतु इस प्रकार के दूसरे या इसके पश्चात के अग्रिम पिछले की निकासी से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात ही देय होगें।

अग्रिम की वसूलीः पहली बार या इसके पश्चात स्वीकृत किये गये अग्रिमों की वसूली रेलवे कर्मचारी के विकल्प अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 200 से अधिक नहीं होगी। रेल कर्मचारी अपनी इच्छा से एक माह में 01 से अधिक किश्तों का पुनर्भुगतान कर सकता है।
नोटः (RB Letter No- 2008-B-306 of 23-04-09&07-07-11 (NWR PS 44/11) के तहत कार अग्रिम पर दिनांक 01.04.2008 से वार्षिक ब्याज दर 11.5% है ।

व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद : (Para 1105)
मोटर कार की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु प्रथम अवसर पर अधिकतम 50,000/ हजार रूपये और इसके पश्चात 40,000/ हजार या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत (कस्टम डयूटी)/के अलावा जो भी कम हो, उस रेल कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है जो वर्तमान नियमों के अंतर्गत मोटर कार अग्रिम स्वीकृति हेतु योग्य है ।
हालांकि अधिकतम 30,000/ हजार का अग्रिम या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत (कस्टम डयूटी के अलावा) जो भी कम हो , उस रेल कर्मचारी को भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु स्वीकृत किया जा सकता है जिसका Grade Pay के अलावा Pay Band में वेतन प्रतिमाह 8560/या अधिक हो और जो वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति हेतु अन्यथा योग्य नहीं है। (Para 1105 (A) RBE No. 82/05 & 42/09)

नोटः वे रेल कर्मचारी जिन्होनें व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु पहले से अग्रिम ले रखा है और पिछले अग्रिम निकासी की तिथि को तीन वर्ष नहीं हुए है, वे व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु दूसरे या इसके बाद के अग्रिम स्वीकृति के हकदार नहीं होगें।

अग्रिम की वसूली : व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम की वसूली रेल कर्मचारी के विकल्प के अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 150 से अधिक नहीं होगी।

ब्याजः व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु रेल कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम पर सरकार द्वारा समय – समय पर मोटर कार अग्रिम हेतु तय साधारण ब्याज दरें लागू होगी।

मोटर साईकिल /स्कूटर /मोपेड इत्यादि की खरीद : इस प्रकार के अग्रिम की राशि पहली बार अधिकतम 30,000/रूपये या ग्रेड पे के अलावा पे बैण्ड में 04 माह का वेतन या मोटर साईकिल/स्कूटर / मोपेड की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो, दी जायेगी।

दूसरी बार या इसके पश्चात मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम की राशि अधिकतम 24,000/– या Grade Pay के अलावा Pay Band में 03 माह का वेतन या मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो , दी जायेगी।

अग्रिम राशि की वसूली कर्मचारी के विकल्प अनुसार समान मासिक किश्तों में की जायेगी, ये 70 से अधिक नहीं होगी।

दूसरे या इसके बाद के अवसरों पर अग्रिम की राशि पिछले स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड के विक्रय से अर्जित लाभ में से घटा कर निकाली अर्थात रेल सेवक वाहन के क्रय पर दी गई राशि से विक्रय पर प्राप्त राशि के अंतर की रकम । (RBE 372/87)

उल्लेखित शर्तों के होते हुए भी उस रेल कर्मचारी को मोपेड की खरीद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 20,000/ रूपये या वचाहन की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो, का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसका वेतन Grade Pay के अलावा Pay Band में प्रतिमाह 8560/से कम हो। (RBE 42/09)

साईकिल अग्रिमः (Para 1107)
रेल कर्मचारी जिसकी Grade Pay 2800/ से अधिक नहीं है उसे साईकिल खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते है किः
इस प्रकार का अग्रिम 3000/– (रूपये तीन हजार) से अधिक नहीं होना चाहिए और बिक्री कर मिलाकर साईकिल की अनुमानित कीमत तक सीमित रखा जाना चाहिये । यदि साईकिल की वास्तविक कीमत स्वीकृत अग्रिम की राशि से कम है तो कर्मचारी बकाया राशि तत्काल सरकार को जमा करायेगा।
नोट : साईकिल अग्रिम अब एक ब्याज रहित अग्रिम है। दिनांक 07.10.2008 के पश्चात, (RBE 171/2008)
इस अग्रिम राशि की कटौती समान मासिक किश्तों में की जायेगी जो 25 से अधिक किश्तों में न हो।
[RB L.No-F (E) Spl. 97/Adv/2/2 dt. 04.03.93 & RBE 229/2004)

साईकिल की खरीद हेतु अग्रिम पिछले अग्रिम को 3 वर्ष बीत जाने से पहले सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये, यदि संबंधित कर्मचारी इस आशय का संतुष्टि दायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है कि पिछले अग्रिम की सहायता से खरीदी गई साईकिल खो गई है या खराब हो गई है।

(R Bd's Letter No.F(E)Spl.81/adv/2/2 dt. 23-07-81)

जिन रेलवे कर्मचारियो ने पिछले दो वर्ष के दौरान अग्रिम नहीं लिया है उनके आवेदन को वरीयता दी जानी चाहिये। रेल कर्मचारी को अग्रिम निकासी के एक माह के भीतर खरीद की रोकड़ रसीद प्रस्तुत करनी चाहिये।

<u>वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृति की अन्य शर्ते</u> : (Para 1108)

1 वाहन की ''वास्तविक कीमत'' में शामिल है

i विक्रय कर और अन्य मदो की कीमतें जैसे अतिरिक्त व्हील (पहिया), टायर व टयूब या पीछे की सीट। इसमें कुछ असेसरी की कीमत जैसे कार में रेडियो, प्लास्टिक कवर शामिल नही है। इसमें नई कार बुकिंग के समय रेल कर्मचारी द्वारा डीलर को अग्रिम के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु दी गई रकम शामिल है जिसे बाद में कार की कीमत में समाहित कर लिया जाता है।

ii रेल कर्मचारी के ड्यूटी के स्थान तक वाहन के परिवहन की कीमत। इसका इस बात से कोई संबंध नही है कि वाहन का परिवहन डिस्ट्रीब्यूटर (विक्रेता) द्वारा किया गया या स्वयं रेल कर्मचारी द्वारा, तथा

iii वास्तविक रूप में अदा किया गया चूंगी प्रभार

2 ऐसे अग्रिमों की स्वीकृति हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान है ।

3 यद्यपि एक अस्थाई / संविदा अधिकारी को अग्रिम स्वीकृति में कोई आपत्ति नहीं है , परन्तु यह अनुबंधित किया जाना आवश्यक है कि अग्रिम की राशि और इस पर ब्याज की वसूली संबंधित रेल कर्मचारी के अंतिम वेतन जारी होने के समय कर ली जाये। ये अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किये जाने चाहिये कि उसके समान या उच्च दर्जे का स्थाई रेल कर्मचारी जमानत प्रस्तुत करें जो मजदूरी भुगतान अधिनियम से शासित न हो ।

4 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रेल कर्मचारी तब तक वाहन का बेचान या हस्तान्तरण नहीं करेगा जब तक कि अग्रिम की राशि और इस राशि पर ब्याज का पूर्णतः पुनर्भुगतान नहीं किया जाता ।

5 यदि रेल कर्मचारी जिसे वाहन की खरीद हेतु अग्रिम निकासी की तिथि से एक माह के भीतर वाहन खरीद कर उसका भुगतान नहीं करता है वह अग्रिम की पूरी राशि एक महीने के ब्याज के साथ सरकार को जमा करवायेगा।

   i विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी एक माह की अवधि को बढाकर दो माह तक कर सकता है।

   ii जहां रेल कर्मचारी अग्रिम निकासी की तिथि से एक माह पूर्ण होने से पूर्व पूरी राशि सरकार की जमा कराता है तो अग्रिम पर ब्याज उस वास्तविक अवधि के लिए लिया जायेगा। जिस अवधि में कर्मचारी ने अग्रिम को अपने पास रखा है।

   iii अग्रिम की सभी स्वीकृतियों में इस नियम की शर्तें उललेखित की जानी चाहिये।

6 प्रावधानों के उल्लघंन के रूप में जब अग्रिम की राशि एक माह से अधिक कर्मचारी के पास रहती है तो उस पर दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जायेगा।

7 करार और जमानत बन्ध पत्र (Agreement and mortage bonds):
रेल कर्मचारी मोटर कार की खरीद हेतु अग्रिम निकासी से पूर्व अलग से निर्धारित फार्म पर वाहन की आरम्भिक खरीद या पहले से खरीदे हुए वाहन, जैसा भी मामला हो, एक करार पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अग्रिम की जमानत के रूप में वाहन को भारत के राष्ट्रपति के पास गिरवी रखता है।

8 अग्रिम स्वीकृत करने वोला प्राधिकारी रोकड रसीद की जांच करने की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए निभायेगा कि निर्धारित अवधि में अग्रिम का उपयोग वाहन खरीद हेतु कर लिया गया है और उसकी वास्तविक कीमत अग्रिम की राशि से कम नहीं है।

9 ऐसा रेल कर्मचारी जो छुट्टी पर है या छुट्टी पर जाने वाला है और जिसे मोटर कार / मोटर साईकिल / स्कूटर की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया है उसे छुट्टी के दौरान किसी भी समय अग्रिम निकासी की इजाजत दी जा सकती है ।
नोटः इस उपबन्ध के प्रावधान उन रेल कर्मचारियों पर भी लागू होगें जो अर्जित अवकाश पर है, जिसमें अध्ययन अवकाश भी शामिल है। परन्तु यह उन पर लागू नहीं होगा जो लम्बी अवधि के लिए विशेष अवकाश पर जा रहे है। (R Bd's Letter No.F(E)Spl.80/adv/2/1 dt. 26.09.80)

10 अग्रिम की वसूली : अग्रिम निकासी के पश्चात पहली वेतन निकासी से वसूली शुरू हो जायेगी। अग्रिम स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी वसूली की किश्तें कम करने की इजाजत दे सकता है, यदि रेल कर्मचारी

की ऐसी इच्छा हो। ब्याज की राशि की वसूली एक या अधिक समान किश्तो में की जायेगी जो मूलधन वसूली की किश्त से अधिक न हो। ब्याज की वूसली मूलधन के भुगतान के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू की जायेगी।

11 उस स्थिति के अलावा जब रेल एक कर्मचारी औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश पर जा रहा है, जिसकी अवधि 04 माह से अधिक न हो या सेवानिवृत होता हो, या किसी नियुक्ति पर स्थानान्तरित होता हो और वहां की ड्यूटी में मोटरकार/मोटरसाईकिल/स्कूटर रखना आवश्यक नही होता है। तो रेल कर्मचारी द्वारा अग्रिम से खरीदे गये वाहन, जिस पर जमा ब्याज का पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया है, के बेचान के लिए रेलवे बोर्ड या माहप्रबंधक, जैसा भी मामला हो, की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि रेल कर्मचारी वाहन अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित करता चाहे जो ऐसी ड्यूटी करता है जिसमें मोटर–कार रखना आवश्यक हो, तो स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी वाहन से जुड़ी जिम्मेदारियों को अगले अधिकारी को हस्तान्तरित करने की इजाजत इस शर्त पर दे सकता है कि वह यह घोषणा करें कि उसे यह ज्ञात है कि उसे हस्तान्तरित किया गया वाहन जमानत बन्ध–पत्र के अधीन है और यह कि वह इसके नियम व प्रावधानों से बन्धा हुआ है।

12 उन सभी मामलों में जब स्वीकृत अग्रिम से खरीदे गये वाहन की संचित (Accrued) ब्याज का पूर्ण भुगतान करने से पहले बेचा जाता है, तो जहां तक आवश्यक हो ऐसे बकाया के पुनर्भुगतान में बेचान प्रक्रिया इस शर्त पर लागू की जानी चाहिये कि पुराना वाहन नया वाहन खरीदने लिए बेचा जा रहा है। स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी ऐसी खरीद हेतु रेल कर्मचारी को बेचान प्रक्रिया के आवेदन की स्वीकृति दे सकता है जो निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

- क बकाया राशि नये वाहन की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ख बकाया राशि का भुगतान पूर्व की तरह उसी दर पर लगातार किया जायेगा।
- ग नियमों के अनुसार नई कार – बीमित और सरकार के पास गिरवी रखी जानी चाहिए।

नोटः रेल कर्मचारी जिसे नया वाहन खरीदने के उद्धेश्य से पुरानी कार/मोटर साईकिल/स्कूटर बेचने की स्वीकृति दी जाती है, उसे नया अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक पुराने वाहन के अग्रिम और उस पर बकाया ब्याज का पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाता।

13 उस रेल कर्मचारी को वाहन खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जो निलम्बित है और यदि उसे निलम्बित करने से पूर्व अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया है तो निलम्बन अवधि के दौरान उसे अग्रिम निकासी की इजाजत नहीं दी जायेगी।

यात्रा पर जाते समय अग्रिम : Para 1109

1 एक कार्यालय प्रधान अपने प्रशासनिक नियंत्रण में किसी रेल कर्मचारी को यात्रा पर जाते समय व्यक्तिगत यात्रा व्यय और यात्रा के दौरान होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है जिसकी अधिकतम अवधि 30 दिन होगी।

एक अस्थाई अराजपत्रित रेल कर्मचारी को यात्रा भत्ता अग्रिम निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है:–

- i यात्रा भत्ता अग्रिम उसी दर से स्वीकृत किया जायेगा जिस दर पर स्थायी कर्मचारी को किया जाता है लेकिन इस हेतु अन्य स्थाई रेल कर्मचारी , जो श्रम भुगतान अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, के द्वारा जमानत प्रस्तुत करनी होगी।
- ii जमानत पर जोर दिये बिना एक माह के वेतन तक अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है की कर्मचारी ने एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा अग्रिम प्राप्ति से तीन माह की अवधि तक उसे संभवतः सेवा मुक्त नहीं किया जायेगा।

इस नियम के अंतर्गत एक रेल सेवक को तब तक दूसरा अग्रिम नहीं दिया जा सकता जब तक पहले अग्रिम का लेखा जोखा नहीं दे दिया जाता । रेल सेवक जिसने इस नियम के अंतर्गत अग्रिम लिया है वह तब तक उसी यात्रा के विरूद्व यात्रा भत्ता या अन्य बिलों का भुगतान नहीं ले सकता, जब तक अग्रिम या इसका कोई अंश समायोजित नहीं हो जाता ।

स्थानान्तरण पर अग्रिम (Para 1113)

रेल कर्मचारी जो स्थानान्तरण अदेशों के अधीन है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या छुटटी पर हो जब वह स्थानान्तरण के आदेश प्राप्त करता हो, तो उसे महाप्रबंधक/सचिव, रेलवे बोर्ड कार्यालय/योजना प्रधान जो कि रेलवे बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे है या उनके क्षा प्राधिकृत

किसी अधिकारी द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जो एक माह के वेतन और स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप नियमों के अंतर्गत यात्रा भत्ता जिसका वह हकदार है, से अधिक नहीं होना चाहिए। सम्बन्धित रेल कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अग्रिम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

वेतन का अग्रिम रेल कर्मचारी के वेतन से 03 मासिक किश्तों में वसूला जायेगा, जो स्थानान्तरण पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू होगी। यात्रा भत्ता अग्रिम रेल कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करने पर एक साथ वसूला जायेगा।

रेल कर्मचारी को स्थानान्तरण तिथि से 06 माह की अवधि में, उसके बाद आने वाले अन्य किसी ऐसे पारिवारिक सदस्य के यात्रा व्यय हेतु दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए यात्रा भत्ता अग्रिम नहीं लिया गया है ।

i पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई वेतन अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। क्योंकि ऐसे स्थानान्तरण संबंधित रेल कर्मचारियों की प्रार्थना पर किये जाते है।

ii अस्थाई स्थानान्तरण के मामले में कोई वेतन अग्रिम स्वीकृति नही किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने वाले रेल कर्मचारियों को अग्रिम [Para 1119(A)]

भारत के बाहर एक माह से अधिक की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले रेल कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसकी वसूली अधिकतम तीन मासिक किश्तों में की जायेगी। अस्थाई रेल कर्मचारियों के मामले में अग्रिम की सिफारिश से पूर्व एक स्थाई रेल कर्मचारी से जमानत ली जायेगी।

विदेश स्थानान्तरित होने वाले रेल कर्मचारी को वेतन अग्रिम : [Para 1119(B)]

वे रेल कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण भारत से विदेश में या किसी देश में एक पद से दूसरे देश में कर दिया जाता है, उन्हें स्थानान्तरण के समय अधिकतम दो माह की वेतन राशि के बराबर अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है। यह विदेश से भारत स्थानान्तरण के मामले पर लागू नहीं होगा। अग्रिम की राशि का निर्धारण स्थानान्तरण से ठीक पहले अधिकारी के वेतन या स्थानान्तरण पश्चात वह जिस वेतन का हकदार होगा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा। दो माह के वेतन अग्रिम के मामले में वसूली 06 समान मासिक किश्तों में तथा एक माह वेतन अग्रिम के मामले में 03 समान मासिक किश्तों से अधिक में नहीं होगी।

विशेष परिस्थितियों में अग्रिम : (Para 1123)

महाप्रबंधक बहुत विशेष परिस्थितियों में अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को एक माह का वेतन अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि रेल कर्मचारी का कैम्प जल गया है या बाढ इत्यादि के कारण उसकी सम्पत्ति को भारी नुकसान पंहुचा है। ऐसे अग्रिम की वसूली निकासी के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से तीन समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

प्राकृतिक आपदा जैसी– विशेष परिस्थिति के मामलों में अग्रिम [Para 1123(A)]

सरकार द्वारा किसी विशेष प्राकृतिक आपदा संबंधी घोषणा किए जाने पश्चात सम्बन्धित महाप्रबंधकों द्वारा वेतन अग्रिम इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर किया जाये जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

i अग्रिम केवल उन अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को देय होगा जिनकी चल या अचल सम्पत्ति प्राकृतिक आपदा द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित या नष्ट हुई है ।

ii अग्रिम ब्याज रहित होगा और उसका पुनर्भुगतान अधिकतम 24 समान मासिक किश्तों में किया जायेगा जो अग्रिम निकासी के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से शुरू होगा।

iii अग्रिम की अधिकतम राशि तीन माह का वेतन या 5000/– जो भी कम हो होगी (RBE 175/2008)

iv अस्थाई रेल कर्मचारी के मामले में अग्रिम स्वीकृति से पूर्व एक स्थाई रेल कर्मचारी जो श्रम भुगतान अधिनियम से शासित नहीं है, कि जमानत आवश्यक होगी।

v सामान्यतः उस मामले मे दूसरा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए,यदि उसी उद्धेश्य के लिए पिछला अग्रिम बकाया रहता है । फिर भी, यदि दूसरे अग्रिम की स्वीकृत आवश्यक हो, तो दूसरे अग्रिम की राशि और पहले अग्रिम का बकाया ऊपर दिये गये उपबन्ध (iii) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

vi इन आदेशों के अंतर्गत उस रेल कर्मचारी को अग्रिम की स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए जो

सरकारी आदेश जारी होने से तीन माह की अवधि तक सहायता हेतु आवेदन नहीं करता है।

vii यह अग्रिम पिछले पैरा के अंतर्ग देय एक माह के वेतन अग्रिम के अतिरिक्त नहीं होगा। यदि रेल कर्मचारी को उसी प्राकृतिक आपदा हेतु एक माह का वेतन अग्रिम पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है तो यह इस पैरा के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि में समयोजित कर लिया जायेगा। ये अग्रिम ''S-Loans and advances by central Govt. Loans to Govt, Servants other Advances'' के नाम होगें।

viii रेल कर्मचारी जो प्राकृतिक आपदा अग्रिम हेतु आवेदन करता है उसे अपने आवेदन के साथ एक घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा, जिसमें प्राकृतिक आपदा द्वारा नष्ट हुई चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जायेगा । यदि उसके द्वारा दिया गया घोषणा पत्र किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाता है तो वह D&AR-1968 के नियम –6 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगा।

वह प्रक्रिया जिसका वाहन खरीद हेतु अग्रिम के मामले में पालन किया जाता है उसका पालन इस मामले में और फंड से निकासी, वसूली की निगरानी इत्यादि के संबंध में भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित किया जायेगा। ऐसे अग्रिम स्वीकृत करते समय महाप्रबंधक आडिट को इस आशय का प्रमाण पत्र सौपेंगा कि भुगतान हेतु आवश्यक कोष की व्यवस्था कर ली गई है/जायेगी।

केंसर के उपचार हेतु अग्रिम : (Para 1124)

रेल कर्मचारी जो 900/ प्रतिमाह तक (पुराना वेतन) वेतन ले रहे है , उन्हे निम्नलिखित शर्तो के अधीन केंसर उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :–

i अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में देय होंगे जहां रेल कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य केंसर के किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अन्तरंग रोगी (Indoor) के रूप में उपचाराधीन है।

ii अग्रिम के आवेदन के साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि रोगी का उपचार अस्पताल में एक अन्तरंग रोगी के रूप में किया जा रहा है । इस प्रकार के प्रमाण पत्र में अस्पताल में रोगी के रूकने की अनुमानित अवधि और उपचार की अनुमानित लागत का उल्लेख होना चाहिए, जो इन नियमों के अंतर्गत पुनर्भुगतान योग्य योग्य होगी और प्रमाण–पत्र प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

iii अग्रिम की स्वीकृति किन्ही भी परिस्थितियों में नहीं दी जाएगी यदि उपचार रेल कर्मचारी के आवास पर लिया जा रहा है या प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेन्ट के परामर्श कक्षा में लिया जा रहा है या रेागी अस्पताल में बहिरंग रोगी के रूप में उपचार ले रहा है ।

iv प्रत्येक मामले में अग्रिम की राशि की सीमा संबंधित रेल कर्मचारी का चार माह का वेतन या 500/रूपये या अन्य कोई राशि जिसकी सिफारिश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई, जो भी कम हो ।

v समान बीमारी के सम्बन्ध में एक से अधिक अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

vi अग्रिम की राशि चिकित्सा परिचर्या और उपचार नियमों के अंतर्गत देय व्यय हेतु बाद में किये जाने वाले पुनर्भुगतान दावे की राशि के विरूद्ध समायोजित की जानी चाहिये और यदि कोई बकाया है तो उसे संबंधित रेल कर्मचारी के वेतन से, रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात दो समान मासिक किश्तो में वसूली जायेगी।

vii अस्थाई रेल कर्मचारियेां के मामले में इन आदेशों के अंतर्गत अग्रिम स्वीकृति एक स्थाई रेल कर्मचारी जो मजदूरी भुगतान अविनियम द्वारा शासित नहीं है, द्वारा जमानत पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

viii इस उद्धेश्य के लिए निबंधन ''वेतन'' नियम 2003 (21) – आर II में परिभाषित अनुसार होगी।

कानूनी मुकदमों हेतु अग्रिम (Para-1128)

i उन मुकदमें के संचालन के लिए भी अग्रिम दिया जायेगा जिसमें सरकार एक पक्ष हो। लेकिन यह अग्रिम तब नहीं दिया जाएगा जबकि रेल प्रशासन के अनुरोध पर मुकदमा दायर किया गया है। अग्रिम की राशि उतनी होनी चाहिए जितनी मुकदमा चलाने हेतु अतिआवश्यक है। और इसकी निकासी तथा लेखा तत्कालिक (Contigent charges) के रूप में किया जाना चाहिए।

ii रेल कर्मचारी के कार्यालय दायित्वों और स्थिति से संबंधित मामलों के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध निजी पार्टी द्वारा चलाई गई कानूनी प्रक्रिया में कर्मचारी के बचाव हेतु होने वाले व्यय हेतु सरकार अपने विवकानुसार ब्याज रहित अग्रिम जो अधिकतम 500/– या रेल कर्मचारी का तीन माह का मूल वेतन जो भी अधिक हो, कर्मचारी से एक बन्ध पत्र (Bond) प्राप्त करने के पश्चात स्वीकृत कर सकती है । अग्रिम की राशि किसी प्रकार की पुनर्भुगतान राशि के विरूद्ध समायोजित होने के अधीन होगी।

iii ऐसे मामले में जहाँ एक रेल कर्मचारी को प्रेस में उसके विरूद्ध लगाये गये विशेष आरोपों पर न्यायालय में अपने आचरण के बचाव की आवश्यकता हो तो उसे प्रशासन द्वारा निर्धारित बंध पत्र भरे जाने पर

ब्याज रहित अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
ऐसे में अग्रिम अधिकतम 500/— या कर्मचारी का तीन माह का वेतन, जो भी कम हो, देय होगा।

iv समान प्रक्रिया के लिए दूसरा अग्रिम देय नहीं होगा।

v अग्रिम की वसूली अधिकतम 24 मासिक किश्तों में की जायेगी। वसूली अग्रिम दिये जाने के पश्चात आरम्भ होने वाले माह में जारी वेतन/निर्वाह भत्ता/अवकाश वेतन से की जायेगी।

मैदानी भागों से पहाडी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये रेल कर्मचारियों को गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम :— (Para-1129)

समूह ''ग'' और ''घ'' के रेल कर्मचारी जो पहाडी क्षेत्रों में नियुक्त है , चाहे प्रथम नियुक्ति हो या स्थाई रूप से/लम्बी अवधि के लिए (अर्थात कम से कम 12 माह की अवधि) मैदानी क्षेत्रों से पहाडी क्षेत्र में स्थानान्तरित हुए है, उन्हें गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता हे जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि कर्मचारी पहाडी क्षेत्र का है या नहीं । यह निम्न शर्तों के अधीन होगा:—

i गर्म कपडों की खरीद हेतु अग्रिम तीन वर्ष में केवल एक बार देय होगा। दूसरा इसके बाद के अग्रिम इस शर्त के अधीन स्वीकृत किये जा सकते है कि अंतिम अग्रिम और नये अग्रिम के बीच का अन्तराल तीन (03) वर्ष से कम न हो । अग्रिम ब्याज रहित होगा और प्रत्येक मामले में अधिकतम 3000/— रू. होगा।

ii स्वीकृत अग्रिम के 1/12 हिस्से के बराबर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित रेल कर्मचारी के वेतन बिल से किश्तों में की जायेगी।

भवन निर्माण या निर्मित भवन की खरीद या स्पष्टतः इसी उद्धेश्य हेतु लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अग्रिम :

(1) भवन निर्माण अग्रिम रेल कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को स्वीकृत किये जा सकते :—

i स्थाई रेल कर्मचारी ।

ii अस्थाई रेल कर्मचारी जिन्होनें 10 वर्ष की लगातार सेवा कर ली हो। उन्हें इस शर्त पर अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा कि स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि भवन पूर्णरूप से तैयार होकर सरकार को गिरवी रखने तक कर्मचारी रेल सेवा में रहेगा।

iii अखिल भारतीय सेवा अर्थात IAS, IPS, IES इत्यादि से सम्बन्धित अधिकारी जो लगातार 06 वर्षों से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर है ।

iv यदि पति — पत्नी दोनों रेल सेवक है तो अग्रिम दोनों में से एक को देय होगा। जहाँ भूखण्ड दोनों की साझा सम्पति है, अग्रिम केवल तभी स्वीकृत किया जायेगा जब दोनों भवन को सरकार के पास गिरवी रखने को सहमत है ।

v यदि पति— पत्नी दोनों केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी या नीजि क्षेत्र में नियुक्त है तो अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु दोनों के वेतन को जोडकर देखा जायेगा।

vi निलम्बित रेल कर्मचारियों को अग्रिम दो स्थाई रेल कर्मचारियेां से गिरवी बन्ध पत्र के रूप में जमानत की जमानत (Callateral security) प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) पूरी की जाने वाली शर्तें :— [(Para-1132(2)]

i ना तो आवेदक ना ही आवेदक की पत्नी/पति/अव्यस्क बच्चा किसी भवन का मालिक होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स हाउसिंग एवं सप्लाई द्वारा इस शर्त में छुट दी जा सकती है।

ii निर्मित भवन या फ्लेट हेतु अग्रिम एक मुश्त खरीद पर देय होगा।

iii आवेदक ने भवन निर्माण हेतु किसी अन्य सरकारी विभाग से ऋण या अग्रिम नहीं लिया है ।

iv रेल कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि भवन की कीमत अधिकतम सीमा (Cost celling limit) का उल्लंधन नहीं करेगी।

(3) वे उद्धेश्य जिनके लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :— [Para-1132(3)]

अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है —

i भूखण्ड का अधिग्रहण कर उस पर भवन निर्माण करना ।

ii उस भूखण्ड पर भवन निर्माण करना जो पहले से रेल कर्मचारी या उसके पति/पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में है ।

iii सहकारी योजना के अंतर्गत भूखण्ड प्राप्त करना और उस पर भवन निर्माण, जहाँ भवन निर्मित होने के पश्चात मालिकाना हक रेल कर्मचारी का होगा।

iv रेल कर्मचारी या संयुक्त रूप से पति/ पत्नि के स्वामित्व में पहले से निर्मित भवन की रहवासीय सुविधओं के विस्तार हेतु ।

v नवनिर्मित भवन या फ्लेट की सरकार, अर्द्धसरकारी या निजी निकायों, हाउसिंग बोर्ड विकास

प्राधिकरण और निजी पार्टियों इत्यादि से एक मुश्त खरीद हेतु ।

vi स्ववित्त पोषित आवासीय योजनाओं और सहकारी समूह आवासीय समितियों के अधीन फ्लेट की खरीद हेतु। स्ववित पोषित योजना के सम्बन्ध में अधिकतम लागत सीमा में भूखण्ड व विकास व्यय शामिल होंगे।

vii साझा प्राधिकारों/बोर्डों और पंजीकृत निजी भवन निर्माताओं से भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन अनुमोदित एक मुश्त खरीद हेतु (RBE No. 181/05)

viii भवन निर्माण हेतु सरकारी/निजी स्त्रोत से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु,चाहे भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका हो।

ix योग्य रेल सेवक को आवासीय कोलोनी में स्थित दुकान सह–आवास भूखण्ड पर केवल आवासीय भाग निर्माण हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

- क भवन की समग्र लागत की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिए भूखण्ड की कीमत, ऊपरी ढांचे की लागत और दुकान तथा प्रस्तावित आवासीय भाग की लागत को ध्यान में रखा जायेगा। इसलिये आवेदक को दुकान और प्रस्तावित भवन की योजना तथा दुकान और प्रस्तावित भवन की अनुमानित लागत अलग–अलग सरकारी जाँच हेतु प्रस्तुत करनी चाहिए ।
- ख रेल सेवक सम्पूर्ण सम्पति अर्थात भूखण्ड और दुकान तथा प्रस्तावित आवासीय खण्ड भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखेगा।
- ग रेल सेवक दुकान सहित सम्पूर्ण भवन को आग, आकाशीय बिजली तथा बाढ़ के विरूद्व नियमानुसार बीमित करवाएगा। (RBE 180/05)

x निजी पाटियों से भवन/फ्लेट की खरीद हेतु अग्रिम बशर्ते –

- क फ्लेट/भवन नया है जिसमें कोई न रहा हो।
- ख फ्लेट/भवन पंजीकृत मुल्यांकन कर्त्ताओं द्वारा किया जायेगा और इस व्यवस्था तथा शुल्क आवेदक द्वारा अदा किया जायेगा।
- ग निजी पार्टी में पंजीकृत भवन निर्माता, वास्तुकार, भवन निर्माता समितियां शामिल है, परन्तु निजी पक्षकर शामिल नहीं है । (RBE 181/05)

(4) भवन निर्माण अग्रिम की राशि :– [(Para-1132 (4)]

- क भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु अधिकतम सीमा पचास महीने के मूल वेतन की पूर्व सीमा में संशोधन कर अब 34 महीने का मूल वेतन पे बेन्ड में (Pay in Pay Band) जो अधिकतम 7.5 लाख या भवन की वास्तविक कीमत या कर्मचारी की पुनर्भुगतान क्षमता, जो भी कम हो, नये भवन/फ्लेट के निर्माण/खरीद हेतु रहेगी।
- ख वर्तमान भवन के विस्तार हेतु भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति की अधिकतम सीमा पचास माह के मूल वेतन की पूर्व सीमा से संशोधित का 34 माह का मूल वेतन पे बेण्ड में (Pay in Pay Band) कर दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा 01.8 लाख या विस्तार की लगत या पुनर्भुगतान क्षमता, जो भी कम हो, होगी। (RBE 07/09)
- ग ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के मामले में अग्रिम की राशि किसी भी मामले में भूखण्ड व भवन निर्माण की वास्तविक कीमत या आवासीय सुविधाओं के विस्तार की वास्तविक लागत के 80% से अधिक नहीं होगी। जहाँ भवन कस्बे या शहर परिधि में आता है वहाँ अग्रिम की राशि 80% तक सीमित नहीं होगी।

(5) ब्याज दर : [(Para- 1132(4)]

भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की वर्तमान दर निम्नानुसार है :–

क्रस	अग्रिम की राशि	ब्याज दर
1	रू. 50,000/– तक	5%
2	रू. 1,50,000/– तक	6.5%
3	रू. 5,00,000/– तक	8.5%
4	रू. 7,50,000/– तक	9.5%

नोट : (1) अग्रिम स्वीकृति जारी करते समय ब्याज दर को निर्धारित दर से 2½ % अधिक आवश्यक रूप से इस आशय से अनुबन्ध किया जायेगा कि यदि स्वीकृति से जुडी शर्तें, जिसमें राशि की वसूली की शर्तें भी शामिल है, पूरी की जाती है जिसमे सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो, तो 2½ % की छुट दी जायेगी । भुगतान

समय पर किया गया है, यह निर्णय करने वाला सक्षम प्राधिकारी, अग्रिम स्वीकृत करने वाला अधिकारी होगा, जो यह निर्णय करेगा कि स्वीकृति से जुडी शर्तें, जिसमें राशि की वसूली से सम्बन्धित शर्तें भी शामिल है, पूरी की गई है । (Para- 1132(10)(ii) of IREM-I]

(2) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में इस तिथि से बकाया भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज नहीं जायेगा।

(6) पुनर्भुगतान क्षमता : [(Para- 1132(6)]

	Length of remaining Service	Slab for repaying capacity
a	Official retiring after – 20 years	40% of (basic pay+stagnation increment+NPA)
b	Official retiring after – 10 years but not Letter than 20 years.	Up to 40% of (basic+stagnation increment +NPA), 65% of DCRG may be adjusted.
c	Official retiring within 10 years	Up to 50% of (basic pay + stagnation increment+NPA) DCRG upto 75% can be adjusted. (RBE No-181/2005)

(7) अधिकतम लागत सीमाः [(Para- 1132(7)]

अधिकतम लागत सीमा 200 माह के मूल वेतन की पूर्व सीमा से संशोधित कर अब 134 माह का मूल वेतन मंहगाई भत्ते के साथ जोडकर दी गई है, जो न्युनतम 7.5 लाख और अधिकतम 18 लाख होगी। [(RBE No-181/2005)]

भवन निर्माण अग्रिम का संवितरणः [(Para- 1132(8)]

विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम का वितरण निम्नानुसार होगाः–

क्र स	भवन निर्माण अग्रिम का संवितरण	पहली किश्त का वितरण	दूसरी किश्त का वितरण	तीसरी किश्त का वितरण	चौथी किश्त का वितरण
1	आंशिक रूप से भूखण्ड खरीद हेतु तथा आंशिक रूप से एक एक मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान आवासिय सुविधा के विस्तार हेतु।	एक विकसित भूखण्ड खरीदने हेतु स्वीकृत अग्रिम का 20% जिस पर निर्माण तत्काल आरम्भ हो सकता हो।	कर्मचारी द्वारा सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर बकाया अग्रिम का 30%	जब भवन निर्माण प्लीन्थ लेवल तक पहुॅच जाये तब शेष का 40%	जब निर्माण छत के स्तर पर पहुॅच जाये तब स्वीकृत राशि का बकाया
2	कर्मचारी जिसके स्वामित्व में पहले से भूखण्ड हो, उस पर नये भवन के निर्माण या वर्तमान अवासीय सुविधाओं के विस्तार के हेतु ।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर स्वीकृत अग्रिम का 50%	शेष 50% भवन के प्लीन्थ लेवल तक पहुँचने पर	–	–
3	आंशिक रूप से भूखण्ड की खरीद हेतु तथा आंशिक रूप से दो मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान आवासीय सुविधा के विस्तार हेतु ।	एक विकसित भूखण्ड खरीदने हेतु स्वीकृत अग्रिम का 15% जिस पर निर्माण तत्काल प्रारम्भ हो सकता हो।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर शेष अग्रिम का 25%	भवन निर्माण प्लीन्थ लेवल पर पहुॅचने पर शेष राशि का 30%	आधार तल की छत डलने पर शेष राशि का 25% <u>पांचवी किश्त</u> प्रथम तल की छत डलने पर स्वीकृत अग्रिम की शेष राशि।
4	दो मंजिला भवन के निर्माण या वर्तमान भवन के विस्तार हेतु।	सरकार के पक्ष में भूखण्ड गिरवी रखने पर स्वीकृत अग्रिम का 25%	भवन के प्लीन्थ लेवल तक पहुॅचने पर स्वीकृत अग्रिम का अधिकतम 30%	आधार तल की छत डलने पर स्वीकृत अग्रिम का अधिकतम 25%	आधार तल की छत डलने पर शेष राशि का 25% <u>पांचवी किश्त</u> प्रथम तल की छत डलने पर

					स्वीकृत अग्रिम की शेष राशि।
5	निर्मित भवन खरीदने हेतु ।	आवेदक को देय एवं आवश्यक एक मुश्त के रूप मे सम्पूर्ण राशि			
6	नया फ्लेट की खरीद/ निर्माण हेतु।	कार्यालय प्रमुख के विवेकानुसार सम्पूर्ण राशि का वितरण एक मुश्त या उचित किश्तों में किया जा सकता है।			

अग्रिम के उपयोग हेतु समय सीमाः— [(Para- 1132(9)]

i भूखण्ड खरीद के मामले में:— भूखण्ड खरीदा जाना चाहिये और राशि प्राप्त करने के दो माह के भीतर गिरवी बंध पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

ii भवन खरीद के मामले मे :— राशि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर भवन का अधिग्रहण और गिरवी रखने की प्रक्रिया पूर्ण जो जानी चाहिये ।

iii नये फ्लेट की खरीद/ निर्माण के मामले में अग्रिम की राशि का उपयेाग एक माह की भीतर किया जाना चाहिये ।

निर्माण रख— रखाव इत्यादि [(Para- 1132(16)]

(अ) भवन निर्माण या वर्तमान भवन में आवासीय सुविधाओं का विस्तार जैसा भी मामला हो, निम्नानुसार होगाः—

i निर्माण पूर्णतः अनुमानित योजना नक्शे के अनुसार होगा जिसके आधार पर अग्रिम की राशि की गणना और स्वीकृति दी गई है । योजना में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा । रेल सेवक प्लीन्थ / छत के स्तर पर देय अग्रिम की किश्त हेतु आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण योजना के अनुसार तथा भारत सरकार को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गसे अनुमानित लागत (Estimate) के अनुसार किया जा रहा है और निर्माण वास्तव में प्लीन्थ / छत के स्तर पर पहुॅच गया है और यह कि पहले से लिया गया अग्रिम भवन निर्माण पर खर्च कर दिया गया है । विभागाध्यक्ष यदि आवश्यक हो तो प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच निरीक्षण करवा सकता है ।

ii सम्बन्धित रेल सेवक को अग्रिम की प्रथम किश्त का भुगतान होने की तिथि से 18 माह की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिये । इसमें असफल रहने पर रेल सेवक को अग्रिम की पूर्ण राशि ब्याज सहित लौटानी होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पर कार्य में ऐसी परिस्थितियों के कारण लम्बित हुआ है,जो कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं है , तो कार्यालय प्रधान द्वारा समय सीमा को एक वर्ष तक के लिए बढाया जा सकता है और इससे लम्बी अवधि के लिए ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बढाया जा सकता है । कार्य समाप्ति की तिथि की सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

(ब) भवन के निर्माण या खरीद, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित रेल सेवक भवन को अपने खर्चें पर तत्काल बीमित करवाएगा, जिसकी राशि अग्रिम की राशि से कम नहीं होगी और भवन को आग, बाढ तथा आकाशीय बिजली के विरूद्ध इसी प्रकार तब तक बीमित रखेगा, जब तक सरकार को अग्रिम का पूर्णतः पुनर्भुगतान नहीं हो जाता। स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि भवन का बीमा करवा लिया गया है । सरकारी कर्मचारी को अपे भवन/फ्लेट जो कि भवन निर्माण अग्रिम की सहायता से निर्माण/ खरीदा गया उसे राष्ट्रीयकृत जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों या निजी इन्श्योरेन्स कम्पनियों जिन्हें बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा पंजीकरण प्रमाण— पत्र दिया गया ह, उसे बीमित कराने की इजाजत दी जा सकती है। (RBE 111/07)

(स) सम्बन्धित रेल सेवक द्वारा अपने खर्चें पर भवन का उचित रख—रखाव किया जायेगा। वह से सभी प्रकार के भार से मुक्त रखेगा और सरकार को ब्याज सहित अग्रिम की राशि का पूर्ण भुगतान होने तक नगरपालिका और अन्य प्रकार के कर लगातार नियमित रूप से देता रहेगा रेल सेवक विभागाध्यक्ष को वार्षिक रूप से इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा।

अग्रिम का पुनर्भुगतानः— (Para -1132/17)

i रेल सेवक को स्वीकृत अग्रिम ब्याज सहित मासिक किश्तों में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि मे चुकाया जायेगा। अग्रिम की वसूली अधिकतम 180 मासिक किश्तों में और इसके पश्चात ब्याज की वसूली अधिकतम 60 मासिक किश्तों में की जाएगी।

ii नये भवन के निर्माण हेतु भूखण्ड की खरीद के लिएए या वर्तमान भवन की आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु आंशिक रूप से स्वीकृत अग्रिम की वसूली भवन पूर्ण होने के पश्चात या भूखण्ड की खरीद हेतु रेल सेवक को दिये गये अग्रिम की तिथि से 24 माह से आरम्भ होगी, जो भी पहले हो।

iii निर्मित भवन की खरीद हेतु लिए गये अग्रिम के मामले में वसूली अग्रिम लिए जाने के माह के पश्चात आरम्भ होने वाले माह से प्रारम्भ होगी।

iv नये भवन के निर्माण हेतु या वर्तमान भवन की आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वीकृत अग्रिम वसूली निर्माण पूर्ण होने के पश्चात आरम्भ होने वाले माह के वेतन से या रेल सेवक को दिए गए अग्रिम की प्रथम किश्त की तिथि से 18वें माह से आरम्भ होगी, जो भी पहले हो।

v अग्रिम की वूसली सम्बन्धित रेल कर्मचारी के मासिक वेतन/ अवकाश वेतन/निर्वाह, भत्तों से विभागाध्यक्ष या सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी। वसूलियां रेलवे बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना रोकी या स्थगित नहीं की जायेगी। रेल कर्मचारी के लम्बे निलम्बन पर घटाए गये निर्वाह भत्ते के मामले में यदि आवश्यक समझा जाता है तो रेलवे बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के पश्चात विभागाध्यक्ष द्वारा वसूलियों को उचित रूप से घटया जा सकता है ।

vi रेल सेवक जिसकी भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान से पूर्व मृत्यु हो जाती है और जिसके मामले में बकाया अग्रिम राशि के एक भाग का समयोजन उसके उत्तराधिकारी को देय मृत्यु–सह–सेवानिवृति ग्रेच्युटी के विरूद्ध किया जायेगा, ऐसे रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के पश्चात मृत्यु–सह–सेवानिवृति के विरूद्ध इस प्रकार समायोजित अग्रिम की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

भविष्य निधि खाते से अग्रिम (Chapter 9 of IREC- I)

क्रस	प्रायोजन	मात्रा		मुख्य शर्तें व वसूली
1	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लेकर भारत से बाहर जाने व लौटने के यात्रा व्यय [Para 923(g)(i)]	कर्मचारी के वास्तविक यात्रा व्यय या भविष्य निधि खाते में मय ब्याज जमा वास्तविक राशि, जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तो में।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है। (Para 926 IREC-I)
2	किसी गम्भीर बिमारी के चिकितस व्ययों को पूरा करने हेतु। [Para 923(g)(ii)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
			iii	बिमारी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। नियंत्रण प्राधिकारी चाहे तो ऐसे आवेदन को चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकते है। [Para 923(g)(Note-3)]
3	विदेश में हाई स्कूल के ऊपर की उच्च शिक्षा व्ययों हेतु [Para 923(g)(iii) (a)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
4	भारत में हाई स्कूल के ऊपर मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी व विशेष पाठयक्रमों के शिक्षा व्ययों हेतु। [Para 923(g)(iii) (b)]	तीन माह के वेतन के बराबर या भविष्य निधि खते में जमा का 50ः जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है ।
5	विवाह/सगाई हेतु [Para 923(g)(iv)]	पुरूष के मामले में तीन माह का वेतन तथा विशेष मामले में अधिकतम छः माह का वेतन व स्त्री के मामले में छः माह का वेतन तथा विशेष मामले में अधिकतम दस माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का अधिकतम 90%	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वूसली की जा सकती है।
			iii	अगर अग्रिम 3 माह से अधिक वेतन का दिया गया है तो अधिकतम 60 किश्तों में वसूली की जा सकती है।(Para 926 IREC-I)
			iv	विवाह व सगाई को अलग–अलग मानते हुए अग्रिम देय। (RBE No. 41/01)
			v	सगाई/विवाह की तारीख से एक माह में भीतर कर्मचारी प्रमाण पत्र देगा कि निकाली गई रकम उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है , अनयथा दी गई निकासी की एक मुश्त कटौती होगी। [Para 925 (3)(c)]
6	वाहन खरीद हेतु (कार/ मोटर साईकिल, स्कूटर आदि) [Para 923 (g) (vi) (a) (Rly Bd. Letter dt. 06-11-85 at P. No. 438 of RBO-85)]	कार की कीमत या 1,10,000 तथा अन्य दो पहिया वाहन के मामले में उसकी कीमत या 20,000 रू या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	सिर्फ विशेष मामलों में ऐसे कर्मचारी को देय जिसकी 15 वर्ष कीसेवा पूर्ण हाने मे अधिकतम 06 माह बाकी ।
			ii	कार के लिए पे बेण्ड में वेतन 19530/– तथा अन्य दो पहिया वाहन हेतु पे बेण्ड में वेतन 8560/– पाने वाले को देय । (RBE No 183/09)
			iii	सेवाकाल में एक बार देय ।
			iv	अधिकतम 36 किश्तों में कटौती । (Para 926 IRE C-I)
			v	कर्मचारी को विकल्प होगा कि 15 वर्ष की सेवा पश्चात अपने अस्थाई अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करवा ले।

7	वाहन बुकिंग हेतु । ;कार/ मोटर साईकिल आदि, [Para 923 (g)(vi)(b) (P No. 438 of RBO-85)]	कार हेतु 10,000/ व अन्य दो पहिया वाहनों हेतु 5000/ या वाहन बुकिंग की वास्तविक राशि या भविष्य निधि खाते में जमा का 50%: जो भी कम हो ।	i	सिर्फ विशेष मामलों में ऐसे कर्मचारी को देय जिसकी 15 वर्ष कीसेवा पूर्ण हाने मे अधिकतम 06 माह बाकी।
			ii	कार के लिए पे बेण्ड में वेतन 19530/– तथा अन्य दो पहिया वाहन हेतु पे बेण्ड में वेतन 8560/– पाने वाले को देय । (RBE No 183/09)
			iii	सेवाकाल में एक बार देय।
			iv	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती ।
			v	कर्मचारी को विकल्प होगा कि 15 वर्ष की सेवा पश्चात अपने अस्थाई अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करवा है।
8	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुए खरीद हेतु। फ्रिज /टीवी /वीसीआर /कूलर आदि [Para 923 (g)(vii) (RBENo.15/96)]	वस्तु की कीमत, 3 माह के वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो ।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
9	सरकारी कार्य के क्रम में रेल कर्मी या उसके परिवार के सदस्य के विरूद्ध दायर न्यायिक मामलें के व्यय पूर्ती हेतु। [Para 923 (g)(viii) (RBENo.203/2002)]	3 माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।
10	तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों क यात्रा हेतु । [Para 923 (g)(ix) RBE 108/06]	3 माह का वेतन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो।	i	कम से कम 12 व अधिकतम 24 किश्तों में कटौती ।
			ii	कर्मचारी के आवेदन पर कम किश्तों में भी वसूली की जा सकती है।

नोटः

i अग्रिम भुगतान के अगले माह से कटौती आरम्भ होगी । [Para 926 (2) of IREC-I]

ii पूर्व अग्रिम का 50: कटौती पूर्व अगला देय नहीं होगा । [Para 923 (E) of IREC-I]

iii यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमानुसार सभी तरह की, की जा सकने वाली (Permisible) कटौतियों पश्चात कर्मचारी को उसके मूल वेतन के 50% से कम रकम प्राप्त न हो। [Para 923 (F) of IREC-I]

iv भविष्य निधि अग्रिम हेतु वेतन से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संशोधित वेतन ढांचे के निर्धारित वेतन बेंड में लिया जा रहा है वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड वेतन के जोड से आहरित वेतन है। (RBE 103/08)

v भविष्य निधि निकासी /अग्रिम , विशेष मामलों में घटना (Event) की तिथि से तीन महीने पश्चात तक भी स्वीकृत पश्चात तक भी स्वीकृत किया जा सकता है। [Master circuler No. 62(Page No. 235 of RBO/94]

vi भविष्य निधि खाते से अग्रिम सम्बन्धी उपरोक्त प्रावधान 01.01.2004 या उसक पश्चात नियुक्त रेल कर्मियों पर लागू नहीं होगें। (RBE 31/2009)

vii भविष्य निधि पर वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु ब्याज दर 8.7% (प्रतिवर्ष) रहेगी। (RBE 37/13 & 48/14)

भविष्य निधि खाते से निकासी (Chapter 9 of IREC- I)

क्रस	प्रयोजन	मात्रा	मुख्य शर्तें	
1	मकान /निर्माण /मकान खरीदने /फ्लेट खरीदना [(Para 925(I0 of IREC-I)]	भविष्य निधि खाते मे जमा उसके वास्तविक अभिदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं अथवा मकान की वास्तविक लागत, जो भी कम हो।	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922(4)(a)of IREC–I & RBE-2/91]
			ii	मकान/ फ्लेट निर्माण के मामले में नगरपालिका द्वारा अनुमोदित नक्शा प्रस्तुत करना आवश्यक । [Para 925 (I) (h) (iv)]
			iii	राशि प्राप्ति के छः माह में मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ तथा कार्य प्रारम्भ होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण होना चाहिये। [Para 925 (I) (e)]
			iv	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी अग्रिम लिया है तो दोनो मिलाकर अग्रिम, सीमा/लागत से अधिक नहीं होगा । [Para 925 (I) (b) (iii)]
			v	निर्माण हेतु अग्रिम समान किश्तों में देय (न्यूनतम दो व अधिकतम चार किश्तों में) [Para 925 (I) (f)]
2	पेतृक मकान/स्वयं का मकान/फ्लेट की मरम्मत, परिवर्तन या रख– रखाव हेतु [Para 925(I) (d) Note-1) & RBE 138/93]	भविष्य निधि खाते में उसके वास्तविक अभिदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं या मरम्मत की लागत या 10,000/– रू. जो भी कम हो	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए ।
3	अभिदाता के स्वयं के मकान/फ्लेट की मरम्मत, परिवर्तन व रख– रखाव हेतु । [Para 925(I) (d) Note-2 & RBE 138/93]	भविष्य निधि खाते मेंजमा का 90% तक या मरम्मत की लागत जो भी कम हो ।	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी ऋण लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम सीमा/ लागत से अधिक नहीं होगा।
			iii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए।
4	पहले की गई निकासी या अन्य सरकारी स्त्रोत से अर्जित मकान/फ्लेट की मरम्मत, परिवर्तन व रख– रखाव हेतु । [Para 925(I) (d) Note-3 & RBE 138/93]	ऊपर मद स. 03 मकान/फ्लेट की मरम्मत तथा इस मद के अंतर्गत दोनों निकासियों का जोड वास्तविक अभिदान की रकम से अधिक नहीं जो ब्याज सहित प्रथम निकासी के समय अभिदाता के भविष्य निधि खाते मे जमा हो या जमा का 90% जो भी कम हो ।	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC –I & RBE-82/91]
			ii	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी ऋण लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम सीमा/लागत से अधिक नहीं होगा।
			iii	पुनः निर्माण/मरम्मत इत्यादि रेल सेवक की अपनी सुविधा के लिए होनी चाहिए ना कि मकान को किराए पर देने के लिए।
5	मकान स्थल खरीदना	मकान स्थल की	i	अभिदाता को सेवाकाल में देय (सेवा

	[Para 925(2) IREC-I]	वास्तविक लागत अथवा भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50% जो भी कम हो । [Para 925(2) (b)]		अवधि की शर्त नहीं) [Para 922 (4) (a) of IREC–I & RBE-82/91]
			ii	पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार देय ।
			iii	निकासी के एक माह में स्थल खरीदना आवश्यक [Para 925 (2) (f)]
			iv	यदि इसी उदेश्य से राजस्व से भी अग्रिम लिया है तो दोनों मिलाकर अग्रिम, सीमा / लागत से अधिक नहीं ।
6	विवाह / सगाई व्यय हेतु [Para 925(3) IREC-I]	छः माह के वेतन के बराबर या भविश्य निधि खाते में ब्याज सहित जमा अभिदान, जो भी कम हो । पुत्री के मामले में विशेष मामलों में पन्द्रह माह के वेतन के बराबर राशि। (RBE – 188/05) (जहाँ भविष्य निधि खाते में ब्याज सहित जमा राशि 10,000/ से कम हो वहाँ जमा राशि का अधिकतम 90 देय होगा।) [(RBE – 925(3) Note No. 3)]	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो । [Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96]
			ii	यदि दो व अधिक बच्चों के विवाह सम्मिलित है तो निकासी अलग–अलग देय। [Para 925 (3) (b) Note-1]
			iii	सगाई व विवाह को अलग–अलग अवसर मानकर निकासी देय। [Para 925 (3) (g) & RBE-41/01]
7	शिक्षा व्यय हेतु [Para 925(4) IREC-I]	तीन माह का वेतन या जमा राशि का 75% (विशेष मामले में 75% तक जो भी कम हो) (RBE 185/05)	i	उच्चतर शिक्षा हेतु जिसमें कालेज के समान, विशेष वस्त्रों तथा शैक्षणिक पर्यटन आदि के खर्च सम्मिलित है ।
			ii	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो। [Para 922(4) (b) of IREC–I & RBE 15/96]
			iii	प्रत्येक 06 माह में एक बार अर्थात किसी भी वित्तीय वर्ष में दो बार देय।
8	चिकित्सा व्यय हेतु । (Para 925(4) IREC-I)	चिकित्सा लागत या छः माह के वेतन के बराबर राशि या भविश्य निधि खाते में जमा राशि का 50% विशेष मामले मे 75% जो भी कम हो । (RBE – 185/05)	i	कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्य की गंभीर रूग्णावस्था के कारण देय ।
			ii	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है , इसमें से जो भी पहले हो । [(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
			iii	एक ही व्यक्ति की बिमारी के लिए एक ही बार रकम निकाली जा सकती है ।
			iv	उपचार पूरा होने के एक माह के भीतर अभिदाता प्रमाण पत्र देगा कि निकाली गई रकम उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई , अन्यथा दिये गए निकासी की एक मुश्त कटौती होगी।
9	वाहन खरीद	(अ) मोटर कार –	i	कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण

	[(Para 925(6)(A) IREC-I) (Rly Bd's Letter no. F(E)III/85/PF-I/14 dt. 06-11-85 (Page No. 438 of RBO 85)]	वास्तविक लागत अथवा 1,10,000/ अथवा भविष्य निधी खाते में जमा का 50% जो भी कम हो । (RBE-68/98)		कर ली हो या सेवानिवृति में 05 वर्ष से कम समय बाकी हो, को देय।
			ii	यह निकासी पे बैंड में वेतन 19530/– या ज्यादा पाने वालों को देय। (RBE- 183/09)
			iii	यह निकासी एक अवसर के लिए ही होगी।
		(ब) मोटर साईकिल/स्कूटर /मोपेड –वाहन या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% अथवा 20,000/– जो भी कम हो । (RBE- 68/98)	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है , इसमें से जो भी पहले हो। [(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
			ii	यह निकासी पे बैंड में वेतन 8560/– या ज्यादा पाने वालों को देय। (RBE- 183/09)
			iii	सेवा काल में सिर्फ एक बार देय।
10	वाहन बुकिंग हेतु (कार/मोटर साईकिल /स्कूटर/ मोपेड आदि) (Para 925(6) (B) of IREC) (RBE-)	कार हेतु 10,000/ व अन्य दो पहिया वाहनों हेतु 5,000/ या वाहन बुकिंग की वास्तविक राशि या भविष्य निधि खाते में जमा का 50% जो भी कम हो	i	कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सेवानिवृति में 05 वर्ष से कम समय बाकी हो, को देय।
			ii	कार हेतु पे बैंड में वेतन 19530/– तथा शेष वाहन हेतु पे बैंड में वेतन 8560/– से कम नहीं ।
			iii	जमा रशीद एक माह में प्रस्तुत करनी आवश्यक अन्यथा पूर्ण वसूली एक मुश्त।
			iv	सेवा काल में सिर्फ एक बार देय ।
			v	वाहन खरीद हेतु भविष्य निधि खाते से अग्रिम की स्थिति में इस राशि को भी अग्रिम सीमा में समयोजित किया जायेगा।
11	मोटर कार की मरम्मत हेतु। [(Para 925(6)(C) IREC-I) (Rly Bd's Letter no. F(E)III/85/PF-I/14 dt. 06-11-85 (Page No. 438 of RBO 85)]	10,000/– अथवा भविष्य निधि खाते में जमा का 1/3 या मरम्मत की लागत, जो भी कम हो । (RBE-68/98)	i	यह निकासी पे बैंड में वेतन 19530/ या ज्यादा पाने वालों को देय। (RBE- 183/09)
			ii	कर्मचारी जिसने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सेवानिवृति में 03 वर्ष शेष हो, को देय ।
			iii	पूरे सेवा काल में एक बार देय ।
			iv	कार को खरीदते हुए पांच वर्ष का समय बीत गया हो। (Rly Bd's L.No. F(E)III/74 PF-2/10 dt 02-12-74 (Para NO. 249/250 of RBO 94)
12	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएॅ खरीद हेतु । (फ्रिज/टीवी/वीसीआर/ कूलर/कम्प्यूटर आदि)	06 माह का वेतन या जमा राशि का 50% या वस्तु की कीमत, जो भी कम हो ।	i	अभिदाता की अधिवार्षिता से पूर्व की सेवा अवधि 10 वर्ष के कम रह गई है अथवा उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इसमें से जो भी पहले हो। ([(Para 922 (4) (b) of IREC –I & RBE-15/96)]
13	मृत अभिदाता के अन्त्येष्टि व्यय हेतु । [(Para 924(6) IREC-I)]	अधिकतम दो माह के वेतन के बराबर या पांच सौ रूपये, जो भी कम हो ।	i	अग्रिम उसी व्यक्ति को अनुदत्त किया जायेगा जो भविष्य निधि रकम पाने का पात्र हो।
			ii	भुगतान की गई राशि की कटौती भविष्य निधि रकम का भुगतान करते समय की जायेगी।
14	सेवा निवृति के एक वर्ष के	भविष्य निधि में जमा	i	इस हेतु कोई कारण देने की आवश्यक

	भीतर [(RBE—176/90)]	का 90% तक ।		नहीं।
			ii	यह सुविधा सिर्फ एक बार देय।

नोटः i भविष्य निधि अग्रिम हेतु वेतन से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संशोधित वेतन ढाँचे के निर्धारित वेतन बैण्ड में लिया जा रहा वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित वेतन है। (RBE 103/09)

ii भविष्य निधि निकासी/अग्रिम , विशेष मामलों में घटना (Event) की तिथि से तीन महीने पश्चात तक भी स्वीकृत पश्चात तक भी स्वीकृत किया जा सकता है। (Master circuler No. 62(Page No. 235 of RBO/94)

iii भविष्य निधि निकासी सम्बन्धी उपरोक्त प्रावधान 01.01.2004 के पश्चात रेल सेवा में आये कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें। (RBE No. 31/2009)